सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 28/17 **निर्णय दिनांक 13.03.2018**

1. भंवरलाल पुत्र रेड़ाराम जाति बिश्नोई निवासी पिथरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. साजनराम पुत्र गणेशाराम जाति बिश्नोई निवासी पिथरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 05—06—2017

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 05—06—2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की भूमि वाके रोही पिथरासर के खेत खसरा नम्बर 74 तादादी 0.10 हेक्टर,

खसरा नम्बर 75/1 तादादी 7.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 651/1 तादादी 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 652 तादादी 5.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 674 तादादी 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 780/674 तादादी 0.45 हेक्टर, कुल तादादी 16.77 हेक्टर स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाके रोही पिथरासर के अपने संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 538, 539, 558, 616, 632, 640, 681, 682, 683 कुल तादादी 51.74 हेक्टर में आवागमन हेतु अपीलांट की उक्त भूमि में से रास्ते के लिए अदालत मातहत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली जवाब के लिए जैरकार थी। लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नियमों के विरूद्व तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों के विपरीत जाकर तैयार की गई है। ऐसी एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट की वादगत् भूमि आईसीआईसीआई बैंक शाखा जयसिंहदेसर के अधीन रहन दर्ज है जिसका जमाबन्दी में अंकन भी है फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अदालत मातहत द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित लोक अदालत के शिवरों के संबंध में पारित निर्देशों के विरूद्व केवल मात्र अपने आकड़ें बढ़ाने मात्र के उद्वेश्य से पारित किया गया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है। लोक अदालत के तहत ऐसे मामलों का निस्तारण किया

जाता है जिसमें सभी पक्षकारों के बीच आपसी सहमति हो। जबकि प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि में आने—जाने के लिए पहले से ही अन्य रास्ता मौजूद है जिसमें इतने वर्षो से आवागमन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास पूर्व में ही अन्य रास्त उपलब्ध था तो धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा 251 ए के तहत केवल मात्र नये रास्ते की मांग की जा सकती है किन्तु जहॉ पूर्व से ही रास्ता कायम हो वहॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते है।

अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। अदालत मातहत को आदेश से पूर्व सभी पक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की विश्वसनियता की जॉच किये बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण व गलत रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश खारिज योग्य है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना व धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पातिर किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट I पेज 441, आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट II आरजे पेज 777, आरएलडब्ल्यू 2009 आरजे पार्ट II पेज 877, आरबीजे 2016 पेज 539, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1281, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 40 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट व अन्य सह खातेदारों की भूमि गांव पिथरासर के खसरा नम्बर 538, 539, 616, 617, 632, 640, 681, 682 व 683 कुल किता 10 तादादी 51.74 हेक्टर भूमि में आने—जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण

रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खेत के नजदीक भंवरलाल पुत्र रेड़ाराम के खेत खसरा नम्बर 74, 75/1 मिन, 651/1मिन, 652, 674, 780/674 कुल रकबा 16.77 हेक्टर भूमि वाके रोही पिथरासर के दक्षिण हिस्से की तरफ सींव के पास–पास से रास्ता सबसे नजदीक होने से नियमानुसार रास्ता कायम किया जावे व इस बाबत् राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने व आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई कटाणी रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई आम रास्ता मौके पर मौजूद है। राजस्व रिकार्ड व मौके के अनुसार रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खसरा नम्बर 682 में जाने के लिए सर्वाधिक नजदीक रास्ता खातेदार भंवरलाल पुत्र रेड़ाराम के खेत में से गुजरता है तथा उक्त रास्ता ही सबसे उपर्युक्त व नजदीकी रास्ता है। उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी बनाया गया है उक्त नजरी नक्शे के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत द्वारा खसरा नम्बर 674 के दक्षिण मोड़ की सींव–सींव रास्ता स्वीकृत किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन कि प्रकरण में धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते है स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम किये जाने के प्रावधान दिये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार ही रास्ता कायम किया गया है। अपीलांट का कथन की अन्य सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस संबंध में कथन है कि चूंकि प्रकरण में सभी संयुक्त खातेदारों के समान हक व अधिकार शामिल है। ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाये अथवा नहीं बनाये जाने से प्रकरण की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अदालत मातहत द्वारा रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता (absolute nessecity) व

रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत खसरा में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये गये है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को उसके खेत खसरा नम्बर 538, 539, 558, 616, 617, 632, 640, 681, 682 व 683 कुल किता 10 रकबा 51074 हेक्टर में आने—जाने व आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खेत के नजदीक भंवरलाल पुत्र रेड़ाराम के खेत खसरा नम्बर 74, 75/1 मिन, 651/1मिन, 652, 674, 780/674 कुल रकबा 16.77 हेक्टर भूमि वाके रोही पिथरासर के दक्षिण हिस्से की तरफ सींव के पास—पास से रास्ता सबसे नजदीक होने से नियमानुसार रास्ता कायम किया जावे

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पत्रावली में प्रस्तुत नजरी नक्शे के आधार पर अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 674 के दक्षिणी मेड़ की सींव—सींव 5 मीटर चौडा व 74 मीटर लम्बा अर्थात 0.0370 हेक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उक्त रास्ता कायम किये जाने से पूर्व स्टेट का जवाब लिया गया है। उक्त जवाब में स्टेट द्वारा यह माना गया है कि खसरा नम्बर 682 के खातेदार को खसरा नम्बर 674 के खातेदार के खेत के दक्षिणी मेड़ की सींव—सींव रास्ता नियमानुसार दिया जाना उचित है। प्रकरण में स्टेट द्वारा यह भी माना गया है कि

रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपने खेत में आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है तथा इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता इससे अधिक उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शे व स्टेट के जवाब के उपरान्त ही रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अदालत मातहत द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता (absolute nessecity) व रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नजरी नक्शे व स्टेट के जवाब के उपरान्त ही अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 674 की दक्षिणी मेड़ की सींव–सींव रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये गये है।

धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृति के समय यह देखा जाना आवश्यक है कि उक्त रास्ता खेत की सींव–सींव दिया गया है अथवा नहीं? यदि रास्ता खेत के बीच में से दिया जाता है तो ऐसे रास्ते को अयुक्तियुक्त कहॉ जा सकता है, परन्तु प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा खेत की सींव–सींव से व अन्य वैकल्पिक रास्ता उपजब्ध नहीं होने के आधार पर ही रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 05–06–2017 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर